<u>डिस्कलेमर</u>

अंतरिम आदेश संख्या 49/2021-22 का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

आदेश संख्या 49/2021-22

ऐरा भवन,
प्रशासनिक कॉम्पलेक्स,
सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली– 110003

जारी करने की तारीख : 28 मार्च, 2022

विषय : छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, मुम्बई में परियोजना कार्य और मैट्रो कार्य के लिए विकास शुल्क (डीएफ) की वसूली के मामले में - डीएफ की वसूली की अवधि बढ़ाने के संबंध में

ऐरा ने दिनांक 21.12.2012 के अपने आदेश संख्या 29/2012-13 द्वारा परियोजना के लिए वित्त की व्यवस्था करने संबंधी कमी को पूरा करने के लिए 30.04.2021 तक कुल 3845.00 करोड़ रूपए की राशि संग्रहित करने के लिए अंतरदेशीय यात्रा के लिए प्रति यात्री 100 रूपए और अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए प्रति यात्री 600 रूपए की दर से विकास शुल्क लगाने की मंजूरी दी है।

2. आगे प्राधिकरण ने दिनांक 28.01.2016 के अपने आदेश संख्या 46/2015-16 द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, मुम्बई में मैट्रो कार्य के लिए वित्त की व्यवस्था करने के लिए कुल 518.00 करोड़ रूपए की राशि के लिए अंतरदेशीय यात्रा के लिए प्रति यात्री 20 रूपए और अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए प्रति यात्री 120 रूपए की दर से विकास शुल्क लगाने की मंजूरी दी है। दोनों वसूलियों को मिलाकर अंतरदेशीय यात्रा के लिए प्रति यात्री 120 रूपए और अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए प्रति यात्री 720 रूपए की दर से संयुक्त विकास शुल्क निर्धारित कर दिया था और इसे 31.03.2021 तक संग्रहित करने के लिए अनुमोदन दिया गया था।

3. मुम्बई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (मायल) ने परियोजना विकास शुल्क के लिए दिनांक 20.08.2020 के पत्र संख्या मायल/वीपीआर/2020-21/09 और मैट्रो विकास शुल्क के लिए दिनांक 16.09.2020 के पत्र संख्या मायल/वीपीआर/2020-21/12 द्वारा यह अनुरोध किया कि दोनों वसूलियों का संग्रह कम होने के कारण वसूली की अवधि बढ़ाई जाए। इस पर प्राधिकरण ने दिनांक 24 मार्च, 2021 का आदेश संख्या 66 जारी कर छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, मुम्बई में 31.03.2022 तक अंतरदेशीय यात्रा के लिए प्रति यात्री 120 रूपए और अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए प्रति यात्री 720 रूपए की दर से विकास शुल्क वसूल करना जारी रखने की अनुमति दी।

4. मायल ने दोनों वसूलियों के संग्रहण में कमी होने के कारण परियोजना डीएफ के लिए दिनांक 17.01.2022 के पत्र संख्या मायल/सीओ/ऐरा-डीएफ/2022/01 द्वारा और मैट्रो डीएफ के लिए दिनांक 17.01.2022 के पत्र संख्या मायल/सीओ/ऐरा-एमडीएफ/2022/01 द्वारा वसूली की अवधि बढ़ाने का पुन: अनुरोध किया। इसके बाद मायल ने दिनांक 01.03.2021 को यह अनुरोध किया कि वसूली की अवधि अंतरिम आधार पर 31 मार्च, 2022 से प्राधिकरण का अनुमोदन प्राप्त होने तक बढ़ा दी जाए।

5. यात्रियों से पहले ही वसूल किए गए वर्ष-वार डीएफ/एमडीएफ की राशि, मायल को संवितरित राशि, ब्याज भुगतान, उपयोग का ब्यौरा, देनदारों की स्थिति, अभी संग्रहित किए जाने वाले डीएफ/एमडीएफ की राशि के संबंध में एएआई की टिप्पणियों और स्वतंत्र लेखापरीक्षक की टिप्पणियों के लिए 25.01.2022 को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) को पत्र भेजा गया। इसका जवाब न मिलने पर एएआई को 02.03.2022 को अनुस्मारक भेजा गया। एएआई ने दिनांक 16 मार्च, 2022 के पत्र संख्या एएआई/एमसी/मायल-06/डीएफ-ए/2022/398 द्वारा यह सूचित किया कि 30.09.2021 तक वसूल किया जाने वाला विकास शुल्क 401.93 करोड़ रूपए है। परंतु मायल के अनुसार 30.09.2021 तक वसूली योग्य विकास शुल्क 1459.00 करोड़ रूपए है। इसके

अतिरिक्त एएआई के दिनांक 21.03.2022 के पत्र संख्या एएआई/एमसी/मायल-06/डीएफ-ए/2020/115/400 के अनुसार मायल द्वारा 30.09.2021 को वसूल किया जाने वाला एमडीएफ 89.60 करोड़ रूपए है। मायल ने दिनांक 17/01/2022 के पत्र द्वारा 30.09.2021 को 106.80 करोड़ रूपए के बकाया एमडीएफ का दावा किया है। इसके साथ-साथ एएआई ने डीएफ और एमडीएफ लेखा परीक्षा रिपोर्टों तथा मायल के दावे के कतिपय महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं, जिन्हें हल किए जाने की जरूरत है।

6. अत: इन मुद्दों का समाधान करने और मायल तथा डीएफ लेखा परीक्षा रिपोर्टों के अनुसार आंकड़ों का समाधान करने के लिए समय की कमी को देखते हुए डीएफ/एमडीएफ की वसूली के संबंध में किसी भी विनियामक कमी से बचने के लिए मंजूर की गई डीएफ की राशि वसूल करने के लिए यह आवश्यक है कि डीएफ की वसूली की अवधि मार्च, 2022 से आगे बढ़ाई जाए। तदनुसार डीएफ की वसूली की अवधि 30.06.2022 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इस बीच स्थिति की जांच की जाएगी और ऐसी जांच के आधार पर आगे कार्रवाई/आदेश जारी किया जाएगा।

आदेश

7. उपर्युक्त को देखते हुए, विनियमित निकाय द्वारा संग्रहित किए जा रहे विकास शुल्क की वसूली के संबंध में कोई भी विनियामक कमी न होने देने के लिए प्राधिकरण, भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 13(1) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा आदेश देता है कि:-

(i) छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, मुम्बई को अंतरिम उपाय के तौर पर यह अनुमति दी जाती है कि अंतरदेशीय यात्रा के लिए प्रति यात्री 120 रूपए और अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए प्रति यात्री 720 रूपए की दर से विकास शुल्क 30.06.2022 तक संग्रहित करना जारी रखे।

(ii) एएआई से अनुरोध है कि वह डीएफ/एमडीएफ के लिए मायल द्वारा उठाए जा रहे सभी मुद्दों की जांच करें और 31.12.2021 को मायल द्वारा वसूली योग्य डीएफ/एमडीएफ 15.05.2022 तक उपलब्ध करे। मायल को सलाह दी जाती है कि वह इस संबंध में एएआई को सभी अपेक्षित दस्तावेज उपलब्ध करे।

प्राधिकरण की ओर से जारीकर्ता

(कर्नल मनु सूदन)
सचिव

सेवा में,

श्री प्रकाश तुलसैनी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
मुम्बई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड,
सीएसएमआई हवाईअड्डा, पहला तल, टर्मिनल 1,
सांताक्रूज (पूर्व), मुम्बई -400099

प्रतिलिपि:

1) सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली-110003.
2) अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली-110003.